राजस्थान–सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान–जयपुर

कमांकः एनएचएम/विधि/ओआईसी/2015/ 320 दिनांक :– 15-4-15

विषय:– 1. एस.बी.सि. रिट याचिका संख्या 956/2015 राजू परमार एवं अन्य (पीएचएसी आशा सुपरवाईजर) बनाम राज्य सरकार व अन्य।
2. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

दीवानी प्रकिया संहिता, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम 5 वर्ष 1908) के आदेश XXVII के नियम 1 एवं 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से उक्त संदर्भित प्रकरण में राजस्थान राज्य की ओर से प्रस्तुत करने, अभिवचनों को सत्यापित करने एवं विविध आवेदन पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०), सिरोही को केस प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

प्रभारी अधिकारी को यह व्यादिष्ट किया जाता है कि वे राजस्थान विधि एवं वैधिक कार्य विभाग नियमावली 1999 में उल्लेखित प्रभारी अधिकारी के दायित्व एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अपनी नियुक्ति के तत्काल पश्चात अन्य कार्यवाही के साथ निम्न कार्य भी सम्पादित करेंगे :–

1. प्रकरण के तथ्यों के संदर्भ में तत्काल आवश्यक जानकारी एवं आगामी तारीख पेशी ज्ञात करके राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर न्यायालय में आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करेंगे।
2. न्याय विभाग को प्रपत्र ALERT LETTER की सूचना तत्काल प्रेषित करेंगे।
3. प्रकरण की विषय वस्तु से संबंधित सभी पत्रावलियां/दस्तावेज/अधिनियम/नियम/ विनियम/ परिपत्र/ दिशा–निर्देश/ अधिसूचना/ आदेश/ सूचना एवं सुसंगत तथ्य एकत्रित करेंगे।
4. प्रकरण में उठाये गए सभी तथ्य एवं बिन्दुओं पर प्रशासनिक अनुभाग से तथ्यात्मक स्थिति प्राप्त कर ऐसे तथ्यों के आधार पर प्रकरण का पैरा कमानुसार प्रतिवेदन तैयार करते हुए एवं ऐसी अतिरिक्त जानकारी अंकित करते हुए जो राजकीय अधिवक्ता एवं राज्यपक्ष के प्रतिरक्षण/ पक्ष प्रस्तुतिकरण के लिए आवश्यक/ सहायक हो, प्रस्तुत करेंगे।
5. प्रभारी अधिकारी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग से तथ्यात्मक विवरण प्राप्त करके राजकीय अभिभाषक को प्रकरण का ब्रीफ संलग्न प्रपत्र क में उपलब्ध करायेंगे जिसमें प्रकरण की पैराकमानुसार तथ्यात्मक स्थिति के अतिरिक्त प्रकरण की विषयवस्तु का दिनांकवार विवरण एवं घटनाकम, संबंधित नियम, अधिनियम, अधिसूचना, परिपत्र एवं दिशा निर्देश और यदि पूर्व में समान बिन्दुओं पर निर्णित उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय के निर्णय Annexure-A- (संलग्न) List/Details of Dates and Events, Act, Rules, Notification, Circular, Guidelines etc, Courts Judgments under relevant & reference.) भी स्वंय के ज्ञान व विभाग के रिकार्डानुसार ज्ञात कर इस ब्रीफ में सम्मिलित किए जावेंगे।
6. न्यायालय में दायर किए जाने वाले वाद/ अपील/ पुनर्विलोकन/ पुनरीक्षण/विविध प्रार्थना पत्र आदि के संबंध में विभागीय तथ्यात्मक परिस्थितियों के कारण/ आधार एवं तथ्यों का अभिलेख के साथ एकत्रिकरण करेंगे, जिनके आधार पर कार्यवाही सम्पादित की जानी है।
7. उपर्युक्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं सामग्री के साथ प्रभारी अधिकारी द्वारा राजकीय अधिवक्ता से व्यक्तिशः सम्पर्क करके लिखित कथन/ प्रत्युत्र/अपील/ पुनर्विलोकन/ पुनरीक्षण/ रिट याचिका/ प्रार्थना पत्र आदि तैयार करवाया जावेगा और प्रारूपित दस्तावेज एवं स्वंय एवं राजकीय अधिवक्ता के हस्ताक्षर करवाकर तथ्यों के सत्यापन/ प्रमाणीकरण/ अनुमोदन हेतु प्रशासनिक अनुभाग को प्रस्तुत किया जावेगा।
8. प्रकरण में संबंधित से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर राजकीय अधिवक्ता से संपर्क कर प्रकरण का जवाब दावा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होते ही जवाबदावे की प्रति इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
9. न्यायालय में पैरवी कर रहे राजकीय अधिवक्ता के पास प्रकरण पत्रावली परिपूर्ण एवं नवीनतम प्रगति व सूचनाओं सहित उपलब्ध रहे, यह सुनिश्चित करेंगें।
10. प्रकरण में न्यायालय में निर्धारित की गई सुनवाई की तारीख, प्रकरण की प्रगति एवं उसमें सम्पादित होने वाली आगामी कार्यवाही से स्वंय एवं विभाग को सदैव अवगत रखेंगे।
11. प्रभारी अधिकारी प्रत्येक तारीख पेशी को न्यायालय में उपस्थित होकर राजकीय अधिवक्ता की पैरवी करने में मदद करेंगे, साक्ष्य, अभिलेख एवं प्रकरण की वर्तमान नवीनतम प्रगति प्रशासनिक अनुभाग संबंधित कार्यालय/ अधिकारी से ज्ञात करके न्यायालय में प्रस्तुत करवायेगें। इस हेतु प्रभारी अधिकारी प्रकरण की नवीनतम जानकारी एवं प्रगति निरन्तर प्राप्त करते रहेंगें।
12. प्रभारी अधिकारी प्रत्येक तारीख पेशी का कार्यवाही विवरण एवं आगामी तारीख पेशी का पत्रावली पर अंकन कर विभाग को अवगत करायेंगें और LITES के प्रपत्र 7 में आगामी तारीख का व्यक्तिशः इन्द्राज करवायेंगे।
13. प्रभारी अधिकारी द्वारा न्यायालय से कोई आदेश, निर्देश, निर्णय पारित होने पर विभाग को उसके तथ्यों सहित उसी दिन जानकारी/ सूचना उच्चाधिकारी को देनी होगी और न्यायालय के उक्त निर्देश/ आदेश/ निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु उसी दिन अथवा आगामी दिवस को आवेदन प्रस्तुत करेंगें।
14. न्याय विभाग को निर्धारित प्रपत्र Court Order Information में निर्णय की सूचना देनी होगी।
15. प्रकरण में स्वंय की रिपोर्ट और राजकीय अधिवक्ता की राय के साथ न्यायालय के निर्देश, आदेश, निर्णय की प्रमाणित प्रति न्यायालय से प्राप्त कर तत्काल विभाग को प्रस्तुत करेंगें।
16. Case Alert, order Alert एवं reminders का प्रतिउत्तर प्रभारी अधिकारी स्वंय न्याय विभाग को प्रस्तुत करवायेंगे और न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में सम्पादित कार्यवाही एवं प्रगति से भी से न्याय विभाग को समय–समय पर अवगत करवाया जावेगा।
17. विभाग के विरूद्ध पारित निर्णय के संदर्भ में आगामी अपीलीय कार्यवाही में अन्य प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति अथवा निर्णय की अनुपालना होने तक प्रभारी अधिकारी का दायित्व निरन्तर रहेगा।
18. प्रभारी अधिकारी वादकरण प्रकरणों की मॉनिटरिंग हेतु न्याय विभाग की वेबसाईट LITES के निर्धारित सभी प्रपत्रों का संधारण करेंगे एवं LITES/ Updation Center को समय –समय पर प्रकरण प्रगति व अद्यतन सूचना प्रस्तुत करेंगे।
19. प्रभारी अधिकारी का स्थानान्तरण/ सेवानिवृत होने की स्थिति में अथवा प्रकरण अन्य प्रभारी अधिकारी को स्थानान्तरित होने पर सभी प्रकरणों की सूची, पत्रावलियां, अभिलेख, आगामी तारीख पेशी और उस पर न्यायालय में सम्पादित होने वाली कार्यवाही का विवरण नवीन प्रभारी अधिकारी का उपलब्ध करवाया जावेगा, अन्यथा स्थिति में अंतिम वेतन भुगतान प्रपत्र (एलपीसी) जारी नहीं होगा।
20. यदि प्रभारी अधिकारी उपर्युक्त निर्देशों की उपेक्षा करता है अथवा इनके प्रति असावधान पाया जाता है तो स्वंय को अनुशासनिक कार्यवाही हेतु उत्तरदायी बनायेगा।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

कमांकः एनएचएम/विधि/ओआईसी/2015/ 320 दिनांक :– 15-4-15

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. परियोजना निदेशक, एनएचएम, मुख्यालय को उनकी अ0टि0क0 266 दिनांक 10.03.2015 के कम में।
2. उप विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक एफ.14 (41)वित्त/विप्र/2015 दिनांक 11.02.2015 के कम में।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जोधपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही।
5. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को रिट की प्रति संलग्न कर प्रेषित है कि वर्णित रिट व वर्णित बिन्दु के सम्बन्ध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन/रिपोर्ट अविलम्ब केस अधिकारी प्रभारी को उलब्ध करावें। संलग्नः–उपरोक्तानुसार।
6. प्रभारी अधिकारी केस उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0), सिरोही को रिट की प्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारी से सम्पर्क कर पैरावाईज तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त कर संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख सहित प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक से पूर्व श्री संजय कुमार शर्मा, गवर्नमैन्ट कौंसल (चिकित्सा विभाग), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर से सम्पर्क कर प्रकरण का जवाब अविलम्ब माननीय न्यायालय में पेश कराने की कार्यवाही करें एवं प्रत्येक सुनवाई दिनांक को माननीय न्यायालय में हुई कार्यवाही/प्रगति से एवं सुनवाई दिनांक से निरन्तर अवगत कराते रहें। साथ ही वित्त विभाग, राजस्थान सरकार की ओर से भी जवाब दावा प्रस्तुत कराते हुये एवं प्रतिरक्षण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। संलग्नः–उपरोक्तानुसार।
7. श्री संजय कुमार शर्मा, गवर्नमैन्ट कौंसल (चिकित्सा विभाग), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
8. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य संबंधित को ई–मेल करावें।
9. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, विधि अनुभाग, मुख्यालय।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

सहायक विधि परामर्शी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।